राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2103, 2104, 2105 एवं 2106/2016.....जिला.....जयपुर...

उनवान – मैसर्स कमल स्पॉज स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, बगरू जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।	

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2103/16	10–11	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 187	38,58,018	28,51,363	10,06,655
2104/16	11–12	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 188	1,59,03,105	1,16,11,118	42,91,987
2105/16	12–13	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 189	6,10,39,368	4,39,84,365	1,70,55,003
2106/16	13–14	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 190	2,18,89,333	1,55,49,672	63,39,661

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा SB Sales Tax Revision No. 298/2011 निर्णय दिनांक 13.04.2016 की छायाप्रति पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सम्पूरित संव्यवहार अंतर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार नहीं है। अतः उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है तथा प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....2.

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2103, 2104, 2105 एवं 2106/2016.....जिला.....जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/2016	विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 08.09.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया एवं निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश के पैरा संख्या 11 में व्यवहारी द्वारा के.बि.क.अधि., 1956 की धारा 6ए में कपटपूर्वक क्लेम किये गये consignment sale को अस्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। के.बि.क.अधि., 1956 की धारा 6ए के तहत प्रथम अपीलें राजस्थान के उच्चतम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अर्थात राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है, जबकि व्यवहारी द्वारा प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः उन्होंने यह अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारण प्रस्तुत चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि हस्तगत अपीलों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(A) के अधीन की गई कथित डिपो ट्रांसफर के संव्यवहार विंवादित है जिनके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कतिपय "एफ" प्रपत्र भी प्रस्तुत किये गये है। ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा 18ए सपठित धारा 25 के तहत Highest Appellate Authority of the State के समक्ष ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी ने Highest Appellate Authority of the State (राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर) के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है एवं अपीलीय अधिकारी ने आंशिक रूप से मांग वसूली पर स्थगन आदेश भी पारित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्थान कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 38(4) के तहत अपीलें प्रस्तुत की है, जो कि अधिनियम की धारा 18ए व 25 के आलोक में पोषणीय नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के आदेश पर सुनवाई किया जाना विधिनुकूल नहीं है। अतः हम विधिविरूद्ध प्रस्तुत इन अपीलों पर आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। प्रकरणों का निष्पादन उपरोक्तानुसार किया जाता है। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	